(2)

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पटना

दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद संख्या—66 / 2012—13

मनोज कुमार वगैरह बनाम सरकार एवं अन्य

Under Section 8 of the Bihar Land Mutation Act, 2011

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
28/3/18	**आदेश** यह पुनरीक्षण वाद, दाखिल खारिज अपील वाद सं0 74 / 2011—12 में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पालीगंज के द्वारा पारित दिनांक 24.08.2012 के आदेश 24.08.2012 के आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। इस वाद के पक्षकार निम्न प्रकार है :— **प्रथम पक्ष** 1. श्री मनोज कुमार, पिता अखिलेश सिंह 2. श्री विपिन कुमार, पिता अखिलेश सिंह 3. श्री कृष्णा गोपाल, पिता अखिलेश सिंह 4. श्री प्रभात कुमार, पिता अखिलेश सिंह सभी का पता ग्राम—गोरखरी, थाना—बिक्रम, जिला—पटना **द्वितीय पक्ष** 1. अंचलाधिकारी, बिक्रम 2. श्रीमती सुशीला देवी, पति स्व0 विजय सिंह, ग्राम—गोरखरी, थाना—बिक्रम, जिला—पटना 3. श्रीमती शिखा देवी, पति धनंजय शर्मा, ग्राम—सोना, थाना—नौबतपुर, जिला—पटना इस वाद में दिनांक 03.10.2015 को श्री बैकुण्ठ सिंह, पिता स्व0 जंगली सिंह, साकिन—गोरखरी, थाना—बिक्रम, जिला—पटना के द्वारा इन्टरवेनर बनने हेतु आवेदन दिया गया, जिसे दिनांक 25.11.2015 को स्वीकृत किया गया। **आवेदकगण का संक्षेप में कथन है कि** (1) उनके द्वारा वर्ष 2010 में मौजा—राम चरण पुर गोरखरी, थाना नं0 65 के विभिन्न खाता, खेसरा की कुल 5.13 एकड़ भूमि की खरीद कामिनी कुमारी उर्फ कामिनी देवी, पिता स्व0 विजय सिंह से की गयी। 2. आवेदकगण के द्वारा खरीदगी भूमि के दाखिल खारिज हेतु दिनांक 01.07.2011 को बिक्रम अंचल कार्यालय में आवेदन दिया गया। 3. अंचलाधिकारी, बिक्रम के द्वारा दाखिल खारिज वाद सं0 105 / 2011—12 कायम कर राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से जांच प्रतिवेदन की मांग की गयी। 4. राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा खरीदगी भूमि पर	

आवेदकगण का दखल–कब्जा प्रतिवेदित किया गया, जिसके आधार पर आम नोटिस निर्गत की गयी।

5. इस वाद के विपक्षी सं0 2 एवं 3 के द्वारा अंचलाधिकारी, बिक्रम को आपत्ति आवेदन दिया गया। सुनवाई के उपरान्त अंचलाधिकारी, बिक्रम के द्वारा दिनांक 29.07.2011को खरीदगी भूमि के अंश भाग के दाखिल खारिज की स्वीकृति दी गयी।

(6) अंचलाधिकारी, बिक्रम का दिनांक 29.07.2011 का आदेश विधि सम्मत नहीं था। अंचलाधिकारी, बिक्रम के आवेदकगण का आवेदन या तो पूर्णतः स्वीकृत किया जाना चाहिए था, अथवा पूर्णतः अस्वीकृत कर देना चाहिए था। आंशिक स्वीकृति का कोई प्रावधान नहीं है।

(7) अंचलाधिकारी, बिक्रम के द्वारा दाखिल खारिज वाद सं0 105/2011–12 में दिनांक 29.07.2011 को पारित आदेश के विरूद्ध भूमि सुधार उप समाहर्ता, पालीगंज के न्यायालय में दाखिल खारिज अपील वाद सं0 74/2011–12 दायर किया गया। भूमि सुधार उप समाहर्ता, पालीगंज के द्वारा विपक्षीगण के प्रभाव में आकर अनुचित आदेश पारित किया गया, जो रद्द करने योग्य है।

विपक्षी सुशीला देवी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा दिनांक 26.07.2014 को दायर अपने प्रतिउत्तर में कहा गया है कि

1. यह पुनरीक्षण वाद पोषणीय नहीं है, तथा रद्द करने योग्य है।

2. प्रश्नगत भूखण्ड बैकुण्ठ सिंह की सम्पति है। बैकुण्ठ सिंह को एक मात्र पुत्र विजय सिंह हुए। विपक्षी सं0 2 सुशीला देवी, विजय सिंह की प्रथम पत्नी है, जिनसे एक मात्र पुत्र पैदा हुआ, परन्तु उसकी मृत्यु हो गयी। विजय सिंह का दूसरा विवाह मालती देवी से हुआ, जिससे दो पुत्रियाँ कामिनी कुमारी एवं शिखा कुमारी हुयी।

3. बैकुण्ठ सिंह के द्वारा दिनांक 08.07.1999 को 1.08 $\frac{3}{4}$ एकड़ भूखण्ड का दान पत्र कामिनी कुमारी तथा 1.09 एकड़ का दान–पत्र शिखा कुमारी को लिखा गया।

4. कामिनी कुमारी को दान से मिली केवल 1.08$\frac{3}{4}$ एकड़ भूखण्ड बेचनेका ही अधिकार था, परन्तु कामिनी कुमारी के द्वारा इस वाद के आवेदकगण को दिनांक 19.08.2010 की डीड से 5.13 एकड़ भूमि की बिक्री कर दी गयी।

5. अंचलाधिकारी, बिक्रम के द्वारा विक्रय पत्र के विरूद्ध कामिनी कुमारी के हिस्से के अनुसार मात्र 1.08 एकड़ भूखण्ड के दाखिल खारिज की स्वीकृति दी गयी, जो उचित है।

6. आवेदकगण का पुनरीक्षण आवेदन रद्द करने योग्य है।

पुनः दिनांक 20.01.2018 को सुशीला देवी की तरफ से इस आशय का आवेदन दिया गया कि पूर्व में कुछ लोगों के बहकावा में आकर सुशीला देवी के द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड पर दावा किया गया था। इस वाद के आवेदकगण के द्वारा कुल 5.13 एकड़ भूखण्ड का क्रय किया गया है, जिस

पर उनका दखल कब्जा है। इस वाद के आवेदकगण के नाम से अगर प्रश्नगत भूखण्ड की लगान रसीद कटती है तो उन्हें कोई आपति नहीं है।

विपक्षी सं0 3 श्रीमती शिखा देवी की तरफ से दिनांक 10.03.2018 को इस आशय का एक आवेदन दिया गया है कि प्रश्नगत भूखण्ड 5.13 एकड़ इस वाद के आवेदकगण के द्वारा खरीद की गयी है, जिस पर उनका दखल कब्जा है। यदि आवेदकगण के नाम से जमीन की लगान रसीद कटती है तो उन्हें इस पर कोई आपति नहीं होगी।

इन्टरवेनर श्री बैकुन्ठ सिंह की तरफ से दिनांक 03.10.2015 को दिए गए आवेदन में कहा गया है कि :—

(1) उनके पुत्र विजय सिंह की दो पत्नियाँ सुशीला देवी एवं मालती देवी हैं। सुशीला देवी से कोई संतान नहीं है, जबकि मालती देवी से दो पुत्री शिखा कुमारी एवं कामिनी कुमारी है।

(2) पुत्र विजय सिंह का वर्ष 1995 में देहान्त हो गया। विजय सिंह की मृत्यु के पश्चात प्रथम पत्नी सुशीला देवी अपने मायका में जाकर रहने लगी, जबकि दूसरी पत्नी मालती देवी एवं उनकी दोनो पुत्रियाँ बैकुण्ठ सिंह की सेवा करती रही।

(3) दिनांक 08.07.1999 को पुत्र वधु मालती देवी को 51.5 डी0 भूखण्ड दान पत्र लिख दिया। साथ ही शिखा कुमारी को 1.09 एकड़ तथा कामिनी कुमारी को भी 1.08 $\frac{3}{4}$ एकड़ का दान पत्र लिख दिया।

(4) मालती देवी के निधन के पश्चात शिखा देवी के हिस्से की जमीन के साथ अपनी जमीन मिला कर संयुक्त रूप से 3.29$\frac{3}{4}$एकड़ भूखण्ड की बिक्री दिनांक 06.05.2013 के केवाला से सुनैना देवी को कर दी। खरीदार उक्त भूखण्ड पर दखल में है।

(5) दूसरी पोती कामिनी कुमारी के द्वारा अपने हिस्सा एवं माता के दान पत्र की भूमि दिनांक 19.08.2010 के विक्रय पत्र से इस वाद के आवेदकगण को बेची गयी, जो क्रेतागण के दखल में है। सम्पूर्ण भूखण्ड की जमाबंदी बैकुण्ठ सिंह के नाम पर ही कायम है।

(6) यदि क्रेतागण के नाम से दाखिल खारिज की स्वीकृति दी जाती है, तो उन्हें कोई आपति नहीं होगी।

सभी पक्षों को सुनने तथा उनके द्वारा दाखिल कागजात एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के परिशीलन से निम्न तथ्य सामने आते हैं।

(1) आवेदकगण के द्वारा कामिनी देवी से दिनांक 19.08.2010 के विक्रय पत्र के माध्यम से कुल 5.13 एकड भूखण्ड की खरीद की गयी। खरीदगी के पश्चात आवेदकगण के द्वारा दाखिल खारिज हेतु आवेदन दिया गया।

(2) अंचलाधिकारी, बिक्रम के द्वारा दाखिल खारिज वाद सं0 105/2011—12 के अन्तर्गत आपति प्राप्त होने पर कामिनी देवी के हिस्से

के भूखण्ड कुल 1.33 $\frac{3}{2}$ एकड़ के दाखिल खारिज की स्वीकृति दी गयी।

(3) अंचलाधिकारी, बिक्रम के उक्त आदेश के विरूद्ध इस वाद के आवेदकगण के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता, पालीगंज के न्यायालय से दाखिल खारिज अपील वाद सं० 74/2011–12 दायर किया गया।

(4) भूमि सुधार उप समाहर्ता, पालीगंज के द्वारा अंचलाधिकारी, बिक्रम के द्वारा दाखिल खारिज वाद सं0 105/2011–12 में पारित आदेश को त्रुटिपूर्ण पाते हुए निरस्त कर दिया गया। भूमि सुधार उप समाहर्ता, पालीगंज का आदेश उचित है। आवेदकगण को भूमि सुधार उप समाहर्ता, पालीगंज के आदेश के आलोक में अंचलाधिकारी, बिक्रम को पुनः आवेदन दिया जाना चाहिए था, परन्तु आवेदकगण के द्वारा ऐसा नहीं कर, भूमि सुधार उप समाहर्ता, पालीगंज के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में पुनरीक्षण वाद दायर किया गया।

(5) अंचलाधिकारी, बिक्रम के आदेश से मैं भी सहमत नहीं हूँ। अंचलाधिकारी, बिक्रम के द्वारा हिस्सा का बंटवारा कर दाखिल खारिज की स्वीकृति दी गयी है, जो उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

(6) इस न्यायालय को यह देखना है कि निम्न न्यायालय के द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत है अथवा नहीं। इस क्रम में भूमि सुधार उप समाहर्ता, पालीगंज के द्वारा पारित आदेश पूर्णतः उचित है एवं विधि सम्मत है।

(7) आवेदकगण यह चाहते है कि उनके द्वारा क्रय की गयी पुरी जमीन 5.13 एकड़ के दाखिल खारिज का आदेश दिया जाय। इसी क्रम में विपक्षीगण के द्वारा भी अपनी अनापत्ति इस न्यायालय में दाखिल की गयी है तथा श्री बैकुण्ठ सिंह के द्वारा भी आवेदन दिया गया है, परन्तु पुनरीक्षण वाद में इस न्यायालय के द्वारा ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जा सकता है। दाखिल खारिज हेतु आवेदकगण नये सिरे से अपना आवेदन अंचलाधिकारी, बिक्रम को दे सकते है। अंचलाधिकारी, बिक्रम के द्वारा ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर विधि सम्मत एवं नियम संगत कार्रवाई की जा सकेगी।

सम्यक विचारोपरान्त मैं यह समझता हूँ कि दाखिल खारिज वाद सं0 74/2011–12 में भूमि सुधार उप समाहर्ता, पालीगंज के द्वारा दिनांक 24.08.2012 को पारित आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। पुनरीक्षण आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

(वजैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता,पटना

(वजैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता,पटना